न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 14/2014

1. नन्दराम पुत्र श्री सूरजकरण उम्र 63 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर

— वादीगण

बनाम

1. प्रभु सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह उम्र 40 वर्ष
2. दौलत सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह उम्र 35 वर्ष जाति राव निवासीगण ग्राम चकवी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर

— प्रतिवादी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 39(2) CPC व्यवहार प्रक्रिया संहिता

वकील 1. श्री भंवरलाल शर्मा वादी
2. प्रतिवादी संख्या 2 स्वंय

निर्णय दिनांक 23.10.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की और से प्रार्थना–पत्र 39 सीआरपीसी का पेश किया है कि आराजी ख0 नं0 122 रकबा 02–10–00 बीघा ग्राम चकवी तहसील सरवाड़ का एक वाद 90/2013 व अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 78/2013 जगदीश वगैरह बनाम नन्दराम वगैरह माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 पक्षकार प्रतिवादी संख्या 1 है। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 78/2013 जगदीश वगैरह बनाम नन्दराम में दिनांक 27.08.2013 को आदेश दिया गया कि "ग्राम चकवी की जमाबंदी संवत् 2066 से 2069 के खाता संख्या 32–32 रकबा 02–10–00 बीघा जिसके ख0 नं0 122 है कि मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त आदेश आज भी प्रभावी है। अप्रार्थीगण ने जानबूझकर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 27.08.2013 की अवहेलना व अवमानना की नियत से दिनांक 18.06.2014 को ख0 नं0 122 विवादित आराजी में जेसीबी से तीन फीट गहरा खड्डा खोद दिया। पाल को खुर्दबुर्द कर दिया। विलायजी व देशी बबूल खोद दिये नुकसान कर दिया व यथास्थिति में जानबूझकर परिवर्तित कर आवागमन बंद कर दिया। पक्षकारान के हक व अधिकार मूलवाद में तय होना है। अप्रार्थीगण आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है। जिन्होंने न्यायालय आदेश दिनांक 27.08.2013 की अवमानना की है। जिस कारण सिविल जेल भेजा जाना आवश्यक है। प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 दिनांक 26.06.2014 को न्यायालय

में उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु समय दिया गया। प्रा. पत्र पर जवाब दिनांक 07.10.2014 को दिया गया व वकील प्रार्थी द्वारा 151 सीपीसी का प्रा. पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। जिस पर जवाब दिनांक 10.03.2015 को दिया गया। उसके बाद दोनो पक्षकारान को धारा 151 सीपीसी पर सुना गया। वकील प्रार्थी का तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 27.08.2013 के न्यायालय आदेश की पालना नहीं की। जिससे उक्त अप्रार्थी न्यायालय अवमानना का दोषी है। प्रतिवादी वकील का कथन है कि प्रार्थी का फौजदारी प्रकरण में किसी प्रकार से न्याय नहीं मिलने व राजस्व अधिकारी अजमेर के न्यायालय में प्रार्थी की अपील खारिज करते हुए अप्रार्थी के हक व अधिकार में निर्णय से क्षुब्ध होकर यह प्रा. पत्र दिया गया है। साथ ही अप्रार्थी पर अनुचित दबाव बनाने हेतु 151 सीपीसी का प्रा. पत्र दिया गया जबकि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश की अक्षरक्ष पालना की गई है। दोनो पक्षों की बहस को सुनने के पश्चात व रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य राजस्व वाद विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज या साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह प्रा. पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय

अतः दोनो पक्षों की बहस को सुनने के पश्चात व रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य राजस्व वाद विचाराधीन है। जिस पर गुणावगुण आधार पर निर्णय किया जावेगा एवं प्रा. पत्र 39 (2) सीपीसी का प्रश्न है इस बाबत प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज या साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह प्रा. पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2019.12.23 15:35:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: